कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांकः– एफ–6 (   ) आ.राज.. (सा.प्र.) / जननि / 10 / 97   दिनांकः– 4/5/10

नीलामी सूचना

जयपुर नगर निगम सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर यूनिपोल साईज 16' X 8', निर्मित बस शैल्टर, ओवर हैड साईनेज, श्रमिक शैल्टर एवं बी.ओ.टी आधार पर पुलिस बेरीकेट (अवरोधक) पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स नीलामी द्वारा लाल कोठी मुख्यालय में किया जायेगा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

नीलामी रोजाना प्रातः 11:00 बजें से सांय 5.00 बजे तक दिनांक 26.05.2010 से 27.05.2010 तक की जावेगी।

क्र. स.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता
1.	सिविल लाईन जोन, सांगानेर जोन, मोतीडूंगरी जोन, हवामहल जोन (पूर्व), आमेर जोन, विधाधर नगर जोन, मानसरोवर जोन के यूनिपोल साईट एवं बस शैल्टर, ओवर हैड साईनेज।	26.05.2010	यूनिपोल 5,000/– रू. (पांच हजार रू.) प्रति साईट बस शैल्टर 20,000/– रू. (बीस हजार रू.) प्रति बस शैल्टर ओवर हैड साईनेज 20,000/– रू. (बीस हजार रू.) प्रति ओवर हैड साईनेज, श्रमिक शैल्टर कुल संख्या (7) सात के 70,000/– रू. (सत्तर हजार रू.) एवं बी.ओ.टी आधार पर बेरीकेट कुल संख्या 1000 (एक हजार) के 1,00,000 /– रू. (एक लाख रू.)
2.	श्रमिक शैल्टरो पर विज्ञापन, बी.ओ.टी आधार पर पुलिस बेरीकेट (अवरोधक) एवं 26.05.2010 की नीलामी में शेष रही साईटे।	27.05.2010	

नीलामी की प्रमुख शर्ते :–

1. उपरोक्त यूनिपोल, बस शैल्टर, ओवर हैड साईनेज एवं श्रमिक शैल्टर पर विज्ञापन लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष, दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जावेंगे ।
2. बी.ओ.टी. के आधार पर निर्मित होने वाले पुलिस बेरीकेट (अवरोधक) की बी.ओ.टी. अवधी 3 वर्ष होगी।
3. इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व शर्तों के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट में नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा । प्रत्येक यूनिपोल, बस शैल्टर, ओवर हैड साईनेज, की बोली अलग–अलग लगाई जावेगी एवं निर्मित श्रमिक शैल्टर, बी.ओ.टी आधार पर पुलिस बेरीकेट (अवरोधक) की नीलामी एकसाथ की जावेगी।
4. उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त मौके पर जमा करानी होगी ।
5. किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा।
6. यूनिपोलों, बस शैल्टर, ओवर हैड साईनेज, श्रमिक शैल्टर एवं बी.ओ.टी. आधार पर पुलिस बेरीकेट (अवरोधक) की संख्या में कमी या बढोत्तरी की जा सकेगी ।
7. नीलामी की अन्य शर्तें एवं यूनिपोल, बस शैल्टर, ओवर हैड साईनेज, श्रमिक शैल्टर की सूची व शर्तो की एंव पुलिस बेरीकेट (अवरोधक) की शर्तो की जानकारी राजस्व अधिकारी (होर्डिग्स), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर 05 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है ।
8. नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है । एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे ।
9. नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा ।

आयुक्त (राजस्व)
जयपुर नगर निगम

प्रतिलिपि :–

1. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर नगर निगम को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में छपवाने की व्यवस्था करें ।

आयुक्त (राजस्व)
जयपुर नगर निगम